



प्रेस नोट

थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर एक अभियुक्त तमंचे के साथ गिरफ्तार

दिनांक:- 04/01/2023

आज दिनांक 20/01/2023 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहपुर महोदय के द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक फतेहपुर महोदय के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी बिन्दकी के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक श्री समशेर बहादुर सिंह के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय मय फोर्स द्वारा मुखबिर खास की सटीक सूचना पर समय करीब 11.45 बजे विक्रमपुर मोड थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर से अभियुक्त नफीस पुत्र सत्तार उम्र 35 वर्ष निवासी बडी बाजार खजुहा थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर को एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 27 /2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर वास्ते पेश होने माननीय न्यायालय फतेहपुर के समक्ष भेजा गया।

नाम पता अभियुक्त

नफीस पुत्र सत्तार उम्र 35 वर्ष निवासी बडी बाजार खजुहा थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय चौकी इंचार्ज खजुहा थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर
2. का0 दीपक कुमार थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर
3. का0 प्रमोद कुमार थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 30/09 धारा 380/411 भादवि, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर
2. एनसीआर नं0 59/09 धारा 352/504/506 भादवि, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर
3. मु0अ0सं0 143/09 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर
4. मु0अ0सं0 355/09 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर
5. मु0अ0सं0 251/2017 धारा 306 भादवि, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर
6. मु0अ0सं0 27/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर